न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 11/2015 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2015/00031

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
थानाराम पुत्र हेमाराम जाति प्रजापत निवासी देसूरी जिला पाली		1. गोमाराम पुत्र स्वरूप जाति रेबारी 2. मृतक पुराराम पुत्र भीकाजी के कामु पुत्र घीसाराम पुत्र श्री पुराराम जाति रेबारी 3. अयुब खा पुत्र श्री याकूब खा जाति मुसलमान तमाम निवासीगण देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली। 4. ग्राम पंचायत देसूरी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–01.02.2021

प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत देसूरी के प्रस्ताव संख्या 03 दिनाँक 25.03.1991 की पालना में अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 11.07.1991 के विरूद्ध पेश कर उसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किए गए तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का एक रहवासी मकान ग्राम देसूरी के सरदारवाव मोहल्ला प्लान नं. 4 में पंचायत द्वारा ले आउट प्लान बनाया जाकर रास्तों को छोड़ते हुए प्लाट बेचाण किए गए थे। जिसके प्लाट नं. 22 का पट्टा संख्या 31 जरिये मिसल संख्या 213/69–70 दिनाँक 29.03.1970 को जरिये प्रस्ताव चम्पादेवी के मे माली के हकमें जारी किया था उक्त प्लाट की भूमी मय मकान प्रार्थी थानाराम के पिता हेमाराम के जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के प्लाट न. 22 की भूमी व मकान 01.07.1996 के क्रय कर ली थी। जिस पर प्रार्थी आदिनांक तक काबिज है व रह रहा है। इसके उतर व दक्षिण दोनों तरफ 10 गज व दरवाजा है तथा पूर्व में धनसिंह का मकान है। पश्चिम में मुबारल अली का मकान है। प्रार्थी के मकान की लम्बाई 30 गज 60 फिट दक्षिण की तरफ व चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 18 गज अर्थात 36 फिट है। कुल 2160 वर्गफीट है। मय मकान है जिसके आगे पीछे दोनों और रास्ते है जिसके दक्षिण दिशा की ओर 20 फिट का सार्वजनिक मार्ग स्थित है जिसे रोकने के आशय से उक्त रास्ते की भूमी पर ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में विक्रय विलेख संख्या 24 दिनांक 11.07.1991 जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत देसूरी में दिनांक 11.07.1991 को वार्ड पंच था उसने पद का दुरूपयोग करते हुए विक्रय विलेख राईका समाज के सार्वजनिक प्लाट का इन्द्राज करते हुए तत्कालीन सरपंच से सार्वजनिक रास्ते की भूमी का विक्रय विलेख जारी करा दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त प्लाट 70 फिट गुणा 40 फिट है तथ 22.06.2010 को उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के [illegible] एवं उसने कब्जा करने की कोशिश की तो ग्राम वासियों ने विरोध कि[illegible] पंचायत ने पत्रांक 184 दिनांक 28.02.2012 इससे सम्बन्धि[illegible] ले आउट प्लान व पट्टे की नकल दी गई। विक्रय वि[illegible] प्रार्थी के मकान का रा[illegible] हो जाता है। ले आउट प्लान व जारी पट्टा आराजी [illegible] अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आने का रास्ता बन्द हो जायेगा। तथा प्रार्थी हक पानी व सुखाचार से वंचित रहता है। अप्रार्थी संख्या

क्रमश.....................2

Anshdeep

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:45 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत में विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु नियम 256 के तहत आवेदन पेश नहीं किया गया न आवेदन शुल्क जमा कराया । 257 के तहत ग्राम पंचायत ने मौके पर नक्शा नहीं बनाया ग्राम पंचायत द्वारा नियम 258 के तहत 3 वार्ड पंचों की कमेटी का गठन मौके निरीक्षण हेतु नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 259 के तहत स्थल को बेचने बाबत अस्थाई निर्णय नहीं लिया गया है। नियम 260 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी नहीं किया गया। न आपत्तिया प्राप्त की गई न निपटारा किया गया। यहां तक कि मिसल भी नहीं बनाई गई। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के वार्ड पंच होते हुए उसके हक में पट्टा जारी कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 की धारा 21 8(क) का उल्लंघन किया है इसलिए भी विक्रय विलेख खारिज योग्य है। राईका समाज की कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी जिसे उक्त विक्रय विलेख जारी किया गया था। इस विक्रय विलेख व आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय देसूरी में वाद चल रहा है। उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा ले आउट प्लान बनाकर जरिये निलामी के सभी प्लॉट विक्रय किए थे। उसी के तहत अप्रार्थीगण ने जैरनिगरानी विक्रय विलेख सम्बन्धी आराजी सन 25.03.1991 में क्रय की थी। तब से वे काबिज है तथा उक्त प्लॉट को सन 2010 में जरिये रजिस्ट्री के अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा क्रय किया गया था। जैर निगरानी पट्टा जरिये रजिस्ट्री क्रय कर लिये जाने के बाद इस न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैर निगरानी पट्टा खारिज कर अप्रार्थी संख्या 3 हक में की गई रजिस्ट्री को खारिज नहीं किया जा सकता है इस का उपचार सिविल वाद है संभव है। उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सन 2012 में भी विवाद करने पर उप सरपंच देसूरी द्वारा मय मौतबिरानों के मौका दिनांक 31.1.2012 को देखा गया मकान अप्रार्थी संख्या 3 के क्रय सुदा मकान के सामने है प्रस्तुत प्रकरण में विवाद पट्टे को लेकर नहीं है विवाद रास्ते को लेकर है जिस पर निगरानी प्रस्तुत कर हल नहीं किया जा सकता है। उपसरपंच देसूरी द्वारा दिनाँक 31.01.2000 की मौका फर्द अनुसार बन गई थी जो रूबरू मौतबिरान मौका फर्द बनाई उसकी प्रति पत्रावली संलग्न है। तद्नुरूप ही पक्षकारान काबिज है लिहाजा निगरानी खारिज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा ले आउट प्लान बनाकर जरिये निलामी के 1991 में जारी किया गया है। तथा जैर निगरानी आराजी को विक्रय विलेख धारकों द्वारा आगे सन 2010 में बेचाण कर दिया था। इस निगरानी के जरिये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में कराई गई रजिस्ट्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा जबकि प्रस्तुत निगरानी रास्ते सम्बन्धी है। धारा 97 के तहत पट्टे की वैधानिकता, अनियमितता, एवं अशुद्धता को ही जाँच करना होता है। निगरानीकर्ता द्वारा इन बिन्दुओं पर किसी प्रकार का साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है रास्ते बाबत विवाद का एकमात्र उपचार सिविल वाद है जो पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 24 दिनांक 11.07.1991 जो ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनाँक 25.03.1991 की पालना में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:47:45 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली